भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 28 मई, 2018

विषय : आरटीआई अपील के प्रत्युत्तर के बारे में प्रेस रिपोर्ट।

भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 3 जून, 2013 के आदेश का अनुसरण करता है कि राष्ट्रीय दल सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक प्राधिकारी होंगे और इसके अनुसरण में उनके वार्षिक लेखा - परीक्षित लेखे के साथ-साथ उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंशदान के बारे में सूचना जब कभी भी आयोग में प्रस्तुत की जाती है, उसे लोक व्यापी रूप में रखा जाएगा।

जहां तक निर्वाचकीय बॉण्ड प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से परामर्श करने का संबंध है, यह मुद्दा वित्त मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है क्योंकि यह उनसे संबंधित है न कि भारत निर्वाचन आयोग से।

****